

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौर आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/
Manual no- 85/2021

(Bank Case)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर-302019 राज. में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-2, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्नई-600002, तमिलनाडु है।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकुट बिहारी पुत्र श्री भवानी (ऋणी / बंधककर्ता)
पता: खेडली गुडला, खेरली गुडला कोटा पलाईथा, जिला-बांरा, राजस्थान-325202
2. श्रीमती शीला (सह-ऋणी)
पता: खेडली गुडला, खेरली गुडला कोटा पलाईथा, जिला-बांरा, राजस्थान-325202

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:- 20.10.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर-302019 राज. में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-2, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्नई-600002, तमिलनाडु है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.05.2019 को 3,40,000/- (अक्षरे: रूपये तीन लाख चालीस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 34143, खसरा संख्या-163, मिसल नं. 107, संकल्प नं. 03, ग्राम खैरली, ग्राम पंचायत- मण्डीता, पंचायत समिति- सांगोद, तहसील- सांगोद, जिला-कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका माप लगभग 1125 वर्ग फीट है। चतुःसीमा पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में- देवलाल, उत्तर में- बाबूलाल, दक्षिण में- जवाहरी मेघवाल है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 3,84,446/- रूपये (अक्षरे:- तीन लाख चौरासी हजार चार सौ छियालीस रूपये मात्र।) दिनांक 26.02.2020 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "देश की धरती" व अंग्रेजी में "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 21.08.2020 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस

जिला कलेक्टर
कोटा

प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "देश की धरती" व अंग्रेजी में "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 21.08.2020 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फेरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "देश की धरती" व अंग्रेजी में "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 21.08.2020 को प्रकाशित करवाया गया, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 34143, खसरा संख्या-163, मिसल नं. 107, संकल्प नं. 03, ग्राम खैरली, ग्राम पंचायत- मण्डीता, पंचायत समिति- सांगोद, तहसील- सांगोद, जिला-कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका माप लगभग 1125 वर्ग फीट है। चतुःसीमा पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में- देवलाल, उत्तर में- बाबूलाल, दक्षिण में- जवाहरी मेघवाल है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को सुनाया गया।

3-10-21
(उज्ज्वल राठी)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा